प्रपत्र–1

उ0प्र0मोटर परिवहन कर्मकार नियमावाली 1962 के नियम 4 देखिये निबन्ध और निबन्ध का प्रमाण पत्र दये जाने का उसके नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र –

1– मोटर परिवहन प्रतिष्ठान का नाम–

2–पूरा पता जिस पर मोटर परिवहन प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार किया जाये ।

3– मोटर परिवहन सेवा का प्रकार अर्थात नगर सेवा (लोग डिस्टेस पैसेन्जर सर्विस) सदर गस्ति सेवा (लोक डिस्टैस प्रन्ट सर्विस)

4– मार्ग की कुल लम्बाई
5– के मिलों की कुल लम्बाई

6– पिछले वर्ष के अन्तिम दिनों की परिवहनों की कुल संख्या और उसकी निबन्धन संस्थायें ।

7–वित्त वर्ष में किसी दिन नियोजित किये गये मोटर परिवहन कर्मचारी का अधिकतम संख्या

8–निम्नलिखित के पते,नाम और उनके घर के पते मोटर परिवहन प्रतिष्ठान का स्वामी और भागीदार

1–ऐसे फर्म की दशा में जो कम्पनीज एक्ट 1955 के अधीन निबन्धित न हुई हो।
2–प्रधान प्रबन्धक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान की दशा में

9– कम्पनीज एक्ट 1955 के अधीन निबन्धित कम्पनी की दशा में निर्देशकों के पूरे नाम और घर के पतें ।

10– नवीनीकरण की दशा में निबन्धन के अन्तिम प्रमाण पत्र व्यौरे

11– रूपये संख्या कोषगार में दिनांक द्वारा जमा की गयी को (संलग्न चालन)